कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-356/2023 दिनांक-06.11.2023

प्रेस नोट

थाना- कोतवाली

धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– वादी मिर्जा महफूजुर्रहमान बेग पुत्र स्व0 अबुल जैश बेग प्रबन्धक, प्रबंध समिति शिब्ली नेशनल इण्टर कालेज, आजमगढ़ ग्रा. व पो. –अंजानशहीद,थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी 1.पूर्व प्रधानाचार्य निसार अहमद पुत्र स्व0 इकबाल अहमद ग्राम व पोस्ट जमीन रसूलपुर थाना रौनापार आजमगढ़ 2.पूर्व प्रबन्धक अब्दुल कय्यूम पुत्र स्व0 कवी अहमद ग्राम व पोस्ट बीनापारा थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा संस्थागत अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बिना किसी मान्यता के ही वित्तविहीन का छात्र बनाकर अवैधानिक तरीके से रु0 12247036/(एक करोड़ बाइस लाख सैतालीस हजार छत्तीस मात्र) अतिरिक्त वसूल किये जाने तथा उक्त वसूली गयी धनराशि किसी भी खाते में जमा न कर गबन कर लेने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 390/22 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक- 06.11.2011 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निसार अहमद पुत्र स्व0 इकबाल अहमद ग्राम व पोस्ट जमीन रसूलपुर थाना रौनापार आजमगढ़ को उनके ससुर फैयाज अहमद के घर मोहल्ला जालंधरी से समय 9.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण–- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं शिब्ली नेशनल इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था। अब सेवा निवृत्त हो चुका हूँ। सत्र 2019-2020 व 2020-21 में कक्षा 6- 12 तक के संस्थागत विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से वित्त विहिन का छात्र बनाकर निर्धारित फीस से अधिक फीस अनुचित लाभ कमाने के आशय से वसूला गया था। जिसे मेरे अथवा प्रबंधक अब्दुल कय्यूम द्वारा खाते में जमा नहीं किया गया। जब जांच के बाद अधिकारीगण द्वारा जमा करने के लिए कहा गया तो हमलोगों नें कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आडिट रिपोर्ट तैयार कराया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 390/22 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- निसार अहमद पुत्र स्व0 इकबाल अहमद ग्राम व पोस्ट जमीन रसूलपुर थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव हे0कां0 पंकज सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- बरदह

किशोरी के साथ छेड़खानी करने व वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 29.10.23 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी नाबलिग बहन मामा के घर जा रही थी, बीच रास्ते मे विपक्षी डम्पी पुत्र जुम्मन निवासी दुबरा व भोलू पुत्र शेहरू निवासी ग्राम रसूलपुर तुंगी थाना बरदह आजमगढ़ ने मेरी बहन को रोक कर छेड़खानी किया तथा भोलू ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है तथा जान से मारने की धमकी दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 450/23 धारा 354(क), 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 67A I.T. Act बनाम उपरोक्त 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 05.10.23 को नि0 रुद्रभान पाण्डेय थाना देवगांव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भोलू पुत्र सेहरूद्दीन निवासी तुंगीरसूलपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को बडगहन तिराहा से समय करीब 17.15 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 450/23 धारा 354(क), 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 67A I.T. Act थाना बरदह आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- भोलू पुत्र सेहरूद्दीन निवासी तुंगीरसूलपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- घटना में प्रयुक्त मोबाइल

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 कमला सिंह यादव थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 देवब्रत वर्मा थाना बरदह, आजमगढ़
4. म0का0 प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़

थाना अतरौलिया

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.11.2023 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सेल्हरापट्टी फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे से अभियुक्त मंसूर पुत्र अनवर निवासी पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष के पास से 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 20.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 364/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– मंसूर पुत्र अनवर निवासी पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 294/23 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429/467/468/ 471 IPC थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी– 01 पिस्टल देशी .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह 2. का0 शिवम सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

गोवध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक- 11.08.2023 को वादी मुकदमा उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान चन्द्रमा ऋषि आश्रम के पास से एक पिकअप वाहन पर लदे 06 मवेशी बरामद किया गया था। मौके से 02 लोग फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात चालक व सहयोगी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में 02 अभियुक्त 1.शहजाद पुत्र हकीमुद्दीनपुर निवासी लमहन थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर 2.सुबहान पुत्र मुन्ना उर्फ खलीक अहमद ग्राम तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर का नाम प्रकाश में आया।

➡ दिनांक- 26.10.2023 को अभियुक्त शहजाद उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा अभियुक्त सुबहान उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 05.11.2023 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुबहान पुत्र मुन्ना उर्फ खलीक को अभियुक्त के घर ग्राम तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर से समय करीब 16.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुबहान पुत्र मुन्ना उर्फ खलीक अहमद ग्राम तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 220/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनिमय व 11 पशु क्रुरता अधिनियम

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 603/19 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधि0 1955 थाना गोसाईगंज सुल्तानपुर

2. मु0अ0सं0 324/2020 धारा 2,3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधि0 1986 थाना गोसाईगंज सुल्तानपुर

3. मु0अ0सं0 220/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनिमय व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कन्धरापुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 शंकर कुमार यादव थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

वाराणसी जोन के अन्तर्गत 41वीं अन्तर-जनपदीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता (2023) का आयोजन; 09 जनपदों के कुल 80 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग

आज दिनांक- 06.11.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के प्रांगण में **वाराणसी जोन के अन्तर्गत 41वीं अन्तर-जनपदीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता (2023) का आयोजन** का उद्घाटन किया गया तथा उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को अभिप्रेरित कर शपथ दिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

उक्त प्रतियोगिता दिनांकः 06.11.2023 से 08.11.2023 तक चलेगी । प्रतियोगिता में कुल 09 जनपदों के कुल 80 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। जनपद आजमगढ़ से 14, जौनपुर व गाजीपुर से 11-11, कमिश्नरेट वाराणसी व मिर्जापुर से 09-09, सोनभद्र व भदोही से 08-08 तथा जनपद मऊ व बलिया से 05-05 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। उक्त कार्यक्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, सीओ सिटी गौरव शर्मा, अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहें।

थाना मुबारकपुर

D-60 गैंग का सक्रिय सदस्य, हिस्ट्रीशीटर व जिला बदर अपराधी अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 17.07.2023 को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त जैदूल महमूद उर्फ गुड्डू पुत्र गाजी जमाल निवासी सरैया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को 6 माह के लिए जनपद की सीमाओ को छोड़कर बाहर रहने और जनपद की सीमा मे प्रवेश न करने के लिए आदेश पारित हुआ था किन्तु जैदूल महमूद अनधिकृत रूप से जनपद मे ही निवास कर रहा था और लुक छिप कर अवैध रूप से गाँजा की तस्करी कर रहा था। अभियुक्त जैदूल महमदू गैंगेस्टर एक्ट में वांछित तथा D-60 गैंग का सक्रिय सदस्य है।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 06.11.2023 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह को सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी अवैध रूप से जनपद की सीमाओं मे निवास कर रहा है जो सठियांव-जीयनपुर मार्ग पर रमेश गुप्ता के हाता के पास खड़ा है, इस सूचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा रमेश गुप्ता के हाता के पास पहुंच कर अभियुक्त जैदूल महमूद को समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 533/2023 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 व मु0अ0सं0 534/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर द्वारा की जा रही है।

➡ अभियुक्त D-60 का गैंग सक्रिय सदस्य है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- जैदुल महमूद उर्फ गुड्डू पुत्र गाजी जमाल निवासी सरैया थाना मुबारकपुर आजमगढ।

बरामदगी:- अवैध गाँजा 1100 ग्राम

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 102/2018 धारा 3/5/8 गो-वध निवारण अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 192/2023 धारा 174ए भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
4. मु0अ0सं0 533/2023 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
5. मु0अ0सं0 534/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 राहुल चौधरी, का0 शैलेश यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- महिला थाना

किशोरी के साथ दुष्कर्म कर खरीद फरोख्त करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 02.11.2023 को वादिनी मुकदमा/पीडिता द्वारा महिला थाना आजमगढ़ पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त 1. रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद यादव निवासी बासगांव थाना तरवां जिला आजमगढ उम्र 45 वर्ष ने दवा खिलाकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया तथा 2,50000 रु0 /- मे विपक्षी 2. विपिन यादव पुत्र मुनकेश यादव निवासी बसखारी थाना सादात जिला गाजीपुर उम्र 21 वर्ष को शादी के नाम पर बेच दिया तथा विपक्षी विपिन ने दैह व्यापार कराकर गर्भपात कराया गया जिसके आधार पर महिला थाना आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 07/2023 धारा 376/328/313/373/372 भादवि0 व ¾ पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 06.11.2023 को थानाध्यक्ष नीतू मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों **1.** रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद यादव निवासी बांसगांव चौराहा थाना तरवां जिला आजमगढ उम्र 45 वर्ष व 2. विपिन यादव पुत्र मुनकेश यादव निवासी बसखारी थाना सादात जिला गाजीपुर उम्र 21 वर्ष को ग्राम बांसगांव थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद यादव निवासी बांसगांव थाना तरवां जिला आजमगढ उम्र 45 वर्ष।

2. विपिन यादव पुत्र मुनकेश यादव निवासी बसखारी थाना सादात जिला गाजीपुर उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0 अ0 सं0 07/2023 धारा 376/328/313/373/372 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना महिला थाना जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. थानाध्यक्ष नीतू मिश्रा महिला थाना जनपद आजमगढ़।
02. म0 का0 अल्का मिश्रा महिला थाना जनपद आजमगढ़।
03. म0 का0 शबाना बानो महिला थाना जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 491 वाहनों का चालान।

दिनांक- 06.11.2023 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़** की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 93 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1923 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले **491 वाहनों का चालान** किया गया।